"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2006 — पौष 30, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/14.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री संजय कुमार गुप्ता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/15.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री उत्तम कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/17.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री तरसेम सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/19.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बजरंगी शर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/21.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विनय कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/23.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री मनोज कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/25.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विभाष कुमार राय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-39/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/27.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत विश्रामपुर, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शाह आलम को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-83/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/51.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत गुण्डरदेही, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. कुमारी बाई को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-83/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/52.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत गुण्डरदेही, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. ज्योति को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-83/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/54.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत गुण्डरदेही, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. मीना सोनकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-83/रानिआ/न.पा./निरर्हता/05/55.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत गुण्डरदेही, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सुशीला सोनकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-74/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/56.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत साजा, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अणिमा देवी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-74/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/57.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत साजा, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रंजीता ठाकुर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-74/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/58.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत साजा, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. सरोज देवी टावरी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-74/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/59.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत साजा, के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. कलिन्द्री शर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-70/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/60.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रीता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-70/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/61.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद्, बेमेतरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. ममता चेलक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/62.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ललित कुमार गोटी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/63.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद्, दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री आर. के. तिवारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/64.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सुरेश को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/65.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सुदेश सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/66.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जुबैर अहमद को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/67.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अशोक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/68.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विजय उर्फ नट्टू भाई को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-81/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/69.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् दल्लीराजहरा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री संजय सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-69/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/70.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिका निगम दुर्ग के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ध्रुव कुमार उर्फ लगूर सोनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-69/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/71.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका निगम दुर्ग के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री श्रीकांत मोडक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-69/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/72.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका निगम दुर्ग के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कामदेव वर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2006

आदेश

क्रमांक एफ-69/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/निरर्हता/05/73.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका निगम दुर्ग के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हकीम खान को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.